न्यायालय :- माननीय राजस्व मन्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, म0 प्र0

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R. 3953-I/12

:1: आत्माराम कोटवार तनय दयाराम बैंगार
:2: रामकुमार पूर्वकोटवार तनय दयाराम बैंगार
निवासी ग्राम सोपता तहसील भान्डेर, जिला
दतिया ।म0 प्र0। . . . . आवेदक गण

बनाम

राजेन्द्र सिंह यादव, पंच तनय प्रकाश सिंह यादव
पंच, वार्ड क्र0 12, ग्राम पंचायत सोपता, जनपद
ब्लाक भान्डेर जिला दतिया म0 प्र0-अनावेदक

श्री एस. के. ... द्वारा आज दि. 20.11.12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 20-11-12

आवेदनपत्र निगरानी विरूद्ध आदेश श्री अनिल व्यास सा0 एस0 डी0 ओ0 भान्डेर जिला दतिया म0 प्र0, द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्र0 50/अपील/11, 12 में पारित आदेश दि0 23-6-12 निरस्त किये जाने हेतु, तहत धारा 50 म0 प्र0 भू0रा0 सं0 1959

20.11.12 (SPDhuu...)

श्री मान महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि आवेदक क्र0 2 ने नियुक्तकर्ता अधिकारी, तहसीलदार भान्डेर के समक्ष कोटवार, ग्राम सोपता तेह0 भान्डेर के पद से दि0 18-5-12 को अपने पद से कारण सहित त्यागपत्र प्रस्तुत किया। आवेदक क्र0 1 को आवेदक क्र0 2 के त्याग पत्र एवं लिखित सहमति से, उक्त रिक्त कोटवार पद पर अस्थाई कोटवार ग्राम सोपता के पद पर नियुक्त किया गया।

।दो। आवेदक क्र0 1 को ग्राम सोपता के कोटवार पद पर नियुक्त किये गये आदेश दि0 18-5-12 के विरूद्ध अनावेदक ने अपात्र होते हुए भी अपील अनुविभागीय अधिकारी, भान्डेर के न्यायालय में अवधि बाह्य अपील प्रस्तुतकर, विना सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय रूपसे आवेदक क्र0 1 के वेतन : पारिश्रमिक : भुगतान रोक का स्थगन आदेश दि0 23-6-12 को करा लिया। उक्त आदेश से दुःखित होकर आवेदक गण यह निगरानी आवेदन पत्र अंदर मियाद निम्न लिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत करते हैं :-

:1: यहकि, एस0 डी0 ओ0 महोदय, का आदेश जेर निगरानी म0प्र0शासन द्वारा "कोटवारों" के संबंध में निर्धारित प्रावधानों एवं कानून, शासन के

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3953-एक/12 **जिला** - दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला दतिया**	